उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-39/2020/एस-2-1113/दस-2020-33(54)/2017
लखनऊ :: दिनॉक: 30 जून, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' विशेष वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स रू0-1,23,100 से 2,15,900 (लेवल-13) में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर, सम्यक विचारोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उच्च वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स रू0-1,31,100 से 2,16,600, (लेवल-13क) में नियमित रूप से पदोन्नत करने एवं उनके वर्तमान पदों पर अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2
1	श्री अजय कुमार सोनकर, वित्त नियंत्रक, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ।
2	श्री सुदर्शन, वित्त नियंत्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

2- उक्त पदोन्नति के आदेश मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे।

3- उक्त नवपदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

4- उक्त आदेश दिनॉक 01-7-2020 से प्रभावी माने जायेंगे।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

---------2

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-39/2020/एस-2-1113(1)/दस-2020, तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ/आजमगढ।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
6- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ/आजमगढ ।
9- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।